संयुक्त निदेशक का कार्यालय,
बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र,
जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना

पुनः दर-आमंत्रण सूचना

पत्रांक-WRD/FMISC/NHP-B(SW)/IFQ/02/2019-20 पटना, दिनांक- 13 / 01 /2020

नेशनल हाईड्रोलॉजी प्रोजेक्ट (NHP), Bihar Surface Water Components के कार्यान्वियन हेतु निबंधित संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं से तीन अदद स्कॉरपियो वाहन मासिक भाड़े पर परिचालन हेतु सभी कर सहित मुहरबंद कोटेशन अधोहस्ताक्षरी द्वारा आमंत्रित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1.	**कोटेशनकर्त्ता :-**	**संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, अनिसाबाद, पटना ।**
2.	**कोटेशन प्राप्ति का स्थान :-**	**बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जल संसाधन भवन, अनिसाबाद, पटना-800002 ।**
3.	कोटेशन प्राप्ति की अंतिम तिथि :-	**दिनांक-13 फरवरी, 2020 के अपराह्न 3:00 बजे तक ।**
4.	कोटेशन खोलने की तिथि :-	**दिनांक-13 फरवरी, 2020 के अपराह्न 3:30 बजे** (कोटेशनदाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष) ।

नियम एवं शर्ते निम्नवत् है :-

i. कोटेशनदाता Car Rental/Travel Agency/Firms के रूप में प्राधिकृत संस्थानों से निबंधित हो तथा जिनके पास वैध PAN,GST Registration उपलब्ध हो ।

ii. एजेन्सी का वाहन अधिकतम तीन साल से अधिक पुरानी नहीं हो तथा व्यवसायिक उपयोग हेतु निबंधित हो ।

iii. वाहन का किराया सभी कर सहित मासिक दर (flat rate) उद्धृत करेगें । वाहन का किराया भुगतान प्रतिमाह ईंधन रहित एजेंसी द्वारा उद्धत मासिक दर पर उपलब्ध कराये गये विपत्र के आधार पर होगा ।

iv. भाड़े के वाहन के रख-रखाव एवं चालक के भुगतान का दायित्व वाहन मालिक का होगा एवं चालक के पास सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत ड्राईविंग लाईसेंस अनिवार्य होगा एवं वाहन चलाने के दौरान अनिवार्य रूप से रखना होगा । वाहन की चोरी या दुर्घटना तथा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेवारी पूर्णतया वाहन मालिक /एजेंसी की होगी ।

v. ईंधन विभाग द्वारा वहन किया जाएगा ।

vi. तीनों वाहनों से संबंधित सभी कागजात यथा निबंधन टैक्स/बीमा कागजात आदि मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत अद्यतन होना चाहिए एवं जिसकी देयता की जिम्मेवारी पूर्णतया वाहन मालिक की होगी ।

vii. सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक का दायित्व होगा कि वे तुरन्त वैकल्पिक वाहन क्रमांक-ii के अनुसार उपलब्ध करायेगें । अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस अवधि के भाड़े का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

viii. भाड़े पर लिए गए वाहन की अवधि एकरारनामा की तिथि से एक वर्ष तक के लिए होगी । तत्पश्चात अवधि विस्तार हेतु एकरारनामा के नवीनीकरण पर विचार किया जा सकता है । अवधि विस्तार की स्थिति में एकरारित दर पर ही वाहन आगे के लिए रखा जाएगा ।

ix. संतोषजनक सेवा नहीं रहने की स्थिति में एक माह के नोटिस पर एकरारनामा रद्द किया जा सकता है ।

x. संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, अनिसाबाद, पटना निविदा अस्वीकृत करने तथा एक से अधिक निविदा स्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रहेगा ।

xi. इच्छुक वाहन मालिक/एजेन्सी तीनों वाहनों से संबंधित सभी कागजातों की स्वअभिप्रमाणित प्रति के सहित सादे कागज पर लिखित आवेदन के साथ संलग्न करते हुए दिनांक-13 फरवरी, 2020 के अपराह्न 3:00 बजें तक मुहरबंध लिफाफे में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करेंगे ।

xii. निविदादाता एक शपथ पत्र (नोटरी से निर्गत) भी देंगे जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि (1) जो भी ड्राईवर गाड़ी से संलग्न रहेगा उनके पास वैध ड्राईविंग लाईसेंस होगा और (2) जिस गाड़ी की भी सेवा दी जायेगी, उस पर किसी प्रकार का पुलिस या न्यायालय में कोई मामला लंवित नहीं हो ।

xiii. सशर्त निविदा अमान्य होगी । अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

xiv. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा तथा वाहनों का उपयोग आवश्यकतानुसार कभी भी किया जा सकता है । तत्काल तीन वाहनों में दो वाहनों का उपयोग किया जायगा तथा आवश्यकतानुसार एक गाड़ी की संख्या बढ़ाया जा सकता है अथवा गाड़ी की संख्या कम भी की जा सकती है ।

xv. क्षेत्र भ्रमण के लिए वाहन मुख्यालय (पटना) से बाहर जा सकता है ।

xvi. किसी भी विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है ।

xvii. वाहन के उपयोग के लिए लॉग बुक का संधारण वाहन मालिक की जिम्मेवारी होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी अवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

13/1/2020

(अनिल कुमार)

संयुक्त निदेशक